

मैसर्स कालीदास शीट मेटल इंडस्ट्रीज पी. लिमिटेड

बनाम

केरल राज्य

(2002 की सिविल अपील संख्या 2789)

28 फरवरी, 2008

(अशोक भान और जे. एम. पांचाल, जे. जे.)

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963-अनुसूची 1 प्रविष्टि नं. 116ए और 116डी- तांबा और पीतल की चादरें- कर उदग्रहण उन्हें प्रविष्टियों के अंतर्गत आने वाला मानते हुए-स्वामित्व- निर्धारित किया गया; प्रविष्टियों के तहत वस्तुओं के रूप में मानते हुए उचित रूप से लगाया गया कर- शब्द 'तांबा' और 'पीतल' जो उक्त प्रविष्टियों में आते हैं, उनके दायरे में 'चादरें' भी सम्मिलित हो जायेंगी।

अपीलार्थी-कंपनी तांबे की चादरें और पीतल की चादरें का व्यवसाय करती थी। 1984-85 और 1985-86 मूल्यांकन वर्षों के लिए, निर्धारण अधिकारी ने माल बिक्री का आकलन करते हुये उक्त वस्तुओं पर 8% की दर से केरल सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1963 की अनुसूची 1 की प्रविष्टि Nos.116A और 116D के तहत कर योग्य पाया। कर निर्धारित की दलील कि उक्त चादरें अवर्गीकृत वस्तुएं होने से 5% की दर पर कर योग्य

है, निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गयी। निर्धारण अधिकारी का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया।

इस न्यायालय की अपील में अपीलार्थियों की ओर से दोनों अपीलों में सामान्यतः यह कहा गया था कि प्रविष्टियाँ 116 ए और 116 डी के तहत केवल शुद्ध ठोस रूपों में तांबा और पीतल है, लेकिन चादर के रूप में नहीं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत द्वारा निर्धारित किया गया:

1.1 तांबे की चादरें और पीतल की चादरें जिनमें अपीलार्थी व्यवसाय करते हैं वह प्रविष्ट सं.116A व 116D के तहत होने से उन पर 8% की दर से कर लगाया जाएगा। 116 ए तांबे से संबंधित है जबकि प्रविष्टि 116 डी पीतल से संबंधित है। यह विवाद में नहीं है कि तांबा और पीतल धातु है जो सामान्य तापमान व दबाव में ठोस रूप में पाया जाता है। यह तथ्य कि व्यावसायिक तौर पर यह धातु रोलिंग मिलों में चादरें, वृत्त, सिल्लियाँ, पट्टियाँ या छड़ के रूप में उत्पादित किये जाते हैं, इसका भी विवाद नहीं है। यह भी विवादित नहीं है कि तांबा व पीतल, ठोस रूप में धातु होने के कारण, बाजार में केवल उपरोक्त रूपों में से एक में ही उपलब्ध हो। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रविष्टि 116A व 116D में आने वाले शब्द 'तांबा' और 'पीतल' के तहत तांबा व पीतल की चादरें सम्मिलित नहीं आती।[पैरा 9 और 6] [614-सी, डी, ई; 616-बी]

1.2 राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण दिनांकित 4 अगस्त, 1982 के सरकारी आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि तांबा, पीतल और जस्ता की पट्टियाँ, वृत्त, सिल्लियाँ, फ्लैट और छड़ें अवर्गीकृत वस्तुओं के रूप में मानी, जाती थीं जो स्थिति दिनांक 01.04.1984 से पूर्व की थी। यह स्पष्टीकरण प्रविष्टि संख्या 121 के संबंध में है, जो धातु उत्पादों से संबंधित थी तथा तांबे और पीतल की चादरों से संबंधित नहीं थी। अधिनियम की अनुसूची 1 को वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित किया गया था और अन्य प्रविष्टियों के साथ, प्रविष्टियाँ संख्या 116A और 116D को 01-04-1984 से प्रभाव में लाया गया तथा तांबा और पीतल जैसी धातुएँ जोड़ी गयीं। सरकार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से यह दर्शित आता है कि तांबा और पीतल की पट्टियाँ, वृत्त, सिल्लियाँ आदि तांबा या पीतल के उत्पाद नहीं हैं। यदि ये वस्तुएँ तांबा या पीतल के उत्पाद नहीं हैं तो यह तांबा और पीतल धातु के रूप में माना जाएगा जो कि प्रविष्टि सं.116A आर 116D के दायरे में आने वाली धातुएँ हैं। [पैरा 7] [614-जी; 615-एबी]

सिविल न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.2789, 2002 की।

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के टी. आर. सी. सं. 10/2001 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12/12/2001 से

के साथ

2003 की सिविल अपील सं. 4158

टी. एल. वी. अयैर, सुब्रमण्यम प्रसाद, जय किशोर सिंह और विवेक गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से।

के. राधाकृष्णन, पी. वी. दिनेश, प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय एम. पंचाल, जे. द्वारा दिया गया-

1. यह अपीलें एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के कर रिविजन नम्बर 467/2000 तथा 10/2001 के विरुद्ध हैं। उक्त रिविजन में सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) के बिक्री-कर कार्यालय कोच्चि द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जो कि अतिरिक्त उप आयुक्त (अपील) II, साथ ही केरल बिक्री-कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भी पुष्ट किया गया कि, तांबा व पीतल की चादरें जिसमें अपीलार्थी व्यवसाय करता है, वह प्रविष्टि सं. 116A तथा 116D, जो व्यवसाय पर 8% की दर से तांबा व पीतल पर कर निर्धारित करती हैं, के तहत आता है। उक्त निर्णय/रिविजन को पुष्ट किया गया।

2. अपीलार्थी कंपनी केरल सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1963 ('अधिनियम') के तहत पंजीकृत एक विक्रेता है। निर्धारण वर्ष 1984-1985 तथा 1985-1986 का निर्धारण/मूल्यांकन पूर्ण करते समय मूल्यांकन अधिकारी द्वारा तांबा एवं पीतल की चादरों पर किये गये व्यवसाय पर 8% की दर से कर तय किया गया, जो कि प्रविष्टि संख्या 116 ए व 116 डी

अनुसूची-1 के तहत तांबा एवं पीतल पर लागू होता है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के इस तर्क को अस्वीकार किया गया कि तांबा एवं पीतल की चादर अवर्गीकृत वस्तुएं होने से 5% की दर से कर योग्य है। अपील में, आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारित कर को पुष्ट किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा दूसरी अपील केरल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त न्यायाधिकरण द्वारा भी अपील खारिज की जाकर मूल्यांकन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिये गये दृष्टिकोण की पुष्टि की गई। इसके बाद अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत टी.आर.सी. नम्बर 467/2000 तथा 10/2001 प्रस्तुत कर दर्ज करवायी गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपीलों को खारिज किये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर विचार किया गया।

4. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में सामान्य रूप से कि प्रविष्टी संख्या 116 ए तथा 116 डी के तहत मात्र तांबा एवं पीतल की मूल धातु उसके ठोस रूप में ही आता है परन्तु उक्त के तहत तांबा व पीतल की चादरें नहीं आती तथा इस आधार पर जो 8% की दर पर कर तय किया गया है वह लगाये जाने योग्य नहीं है।

5. न्यायालय के समक्ष उक्त विचारणीय बिन्दु के निस्तारण हेतु जिन प्रविष्टियों के संदर्भ में बात की जा रही है उनका अवलोकन करना आवश्यक है। एल्यूमीनियम, टिन, तांबा आदि सामान्य शीर्ष "गैर-लोह धातु" के तहत वर्गीकृत किया गया है जो कि प्रविष्टि संख्या 115 से 116 जी में आता है। उक्त प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं:-

"गैर-लोह धातु"

115.	एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्रित धातु तथा सभी वस्तुएं जो कि मिश्रित धातु से बनी हैं।	विक्रेता द्वारा राज्य में पहले बिक्री के बिन्दु पर जिसमें धारा 5 के तहत कर देना उत्तरदायी है।
116.	टिन, टिन की चादरें व फ्लेट	वही 8
116 ए.	तांबा	विक्रेता द्वारा राज्य में पहले बिक्री के बिन्दु पर जिसमें निम्न धारा के तहत कर देना उत्तरदायी है। 5.8
116 बी.	जिंक	विक्रेता द्वारा राज्य में पहले बिक्री के बिन्दु पर जिसमें

		निम्न धारा के तहतकर देना उत्तरदायी है। 5.8	
116 सी.	मैगनीज	वही	8
116 डी.	पीतल	वही	8
116 इ.	कांस्य	वही	8
116 एफ.	मैगनीशियम	वही	8
116 जी.	फोरोसिलिकाॅन	वही	8

6. उक्त प्रविष्टि के मात्र अवलोकन से यह जाहिर आता है कि प्रविष्टि संख्या 116 ए तांबे से संबंधित है तथा प्रविष्टि संख्या 116 डी पीतल से संबंधित है। न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या तांबे की चादरें तथा पीतल की चादरें भी प्रविष्टियां 116 ए तथा 116 डी के तहत पाये जाने योग्य है। इस संदर्भ में कोई संशय नहीं है कि तांबा एवं पीतल दोनों ही धातु हैं। सामान्य तापमान एवं दबाव में यह ठोस रूप में होते हैं। यह विवाद में नहीं है कि व्यवसाय में यह धातु रोलिंग मिल्स में चादर, सर्कल, सिल्ली, राॅड आदि के रूप में उत्पादित किये जाते हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि तांबा एवं पीतल ठोस रूप में बाजार में उक्त में से किसी भी एक प्रकार में भी उपलब्ध होते हैं। अतः अपीलार्थी का यह तर्क

कि शब्द "तांबा" तथा "पीतल" जो कि प्रविष्टि संख्या 116 ए तथा 116 डी के तहत है उसमें तांबा एवं पीतल की चादरें समायोजित नहीं होती, यह स्वीकार्य योग्य नहीं है।

7. प्रकरण के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांकित अगस्त 4, 1982 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि तांबा, पीतल तथा जस्ता के चादर, सर्कल, सिल्ली, फ्लेट तथा छणों को अवर्गीकृत वस्तुओं के रूप में माने जाने से वह प्रविष्टि संख्या 116 ए तथा 116 डी के तहत नहीं आयेगा। उक्त आदेश के अवलोकन से न्यायालय की यह राय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण 01.04.1984 से पूर्व की स्थिति के संबंध में है। उक्त स्पष्टीकरण प्रविष्टि संख्या 121 के संबंध में जारी किया गया था जो कि धातु उत्पादों से संबंधित है तथा वह तांबा एवं पीतल की चादरों से सम्बन्ध नहीं रखता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिनियम के अनुसूची-1 को संशोधित कर अन्य प्रविष्टियां के साथ-साथ प्रविष्टि संख्या 116 ए तथा 116 डी को दिनांक 01.04.1984 को पीतल एवं तांबा जैसी धातु के संबंध में प्रभाव में लाया गया। वास्तव में जो स्पष्टीकरण सरकार द्वारा जारी किया गया वह अपीलार्थी के पक्ष को कमजोर करता है। उक्त स्पष्टीकरण यह नहीं दर्शाता कि तांबा एवं पीतल की चादरें, सर्कल, सिल्लियां आदि तांबा या पीतल के उत्पाद नहीं हैं। जब उक्त वस्तुएं तांबा अथवा पीतल के उत्पाद नहीं हैं तो

यह तांबा एवं पीतल धातु माना जाकर प्रविष्टि संख्या 116 ए तथा 116 डी के तहत ही आयेंगे।

8. अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा जो उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लि० बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वगैरह (1981) 3 एस.सी.सी.578 पेश कर यह तर्क दिया गया है कि तांबा तथा पीतल की चादरें, तांबे तथा पीतल से विशिष्ट व्यवसाय उत्पाद होने से प्रविष्टि संख्या 116 ए तथा 116 डी में माने जाने योग्य नहीं है, वह सही नहीं है। उक्त मामले में अपीलार्थी विभिन्न एल्यूमीनियम धातु एवं उसके साथ एल्यूमीनियम के अन्य वस्तुओं का उत्पादन के व्यवसाय में था। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं से यह सूचित किया गया है कि अभिव्यक्ति "धातु" का उपयोग आमतौर पर उसके प्राथमिक अर्थ जो कि धातु जिस आकार में बाजार में उपलब्ध होती है, के आधार पर माना जाना चाहिए। उक्त परिस्थितियों में जब मूल रूप से पाये जाने वाली वस्तु को बाद में विकसित कर लिया जाता है तो तब विशिष्ट वस्तुएं नये व्यवसाय की वस्तुओं के रूप में बाजार में उपयोग में ली जाती हैं। जैसा कि पूर्व में पाया गया है कि तांबा एवं पीतल रोलिंग मिल्स में चादर, सर्कल, सिल्ली, पट्टी या छण के रूप में उत्पादित किये जाते हैं तथा बाजार में उक्त रूप में से किसी एक भी रूप में ठोस में उपलब्ध होते हैं। अतः उच्च न्यायालय द्वारा जो सिद्धान्त हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम

कार्पोरेशन लिमिटेड (उपर) प्रतिपादित किया गया है वह हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है। न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि स्टेट एम.बी. बनाम एम. हीरालाल (1996) 2 एस.सी.आर.752 में इस कार्ट के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि जब लोहे के बचे हुए शेष को विभिन्न प्रक्रियाओं से री-रोलिंग कर आकर्षित बनाया जाकर लोहे और स्टील के विभिन्न आकार जैसे बार, फ्लेट तथा प्लेटों में बनाया जाता है, तो वह तब भी लोहा तथा स्टील की श्रेणी में ही रहता है, जो कि मध्य भारत बिक्री कर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के तहत माना जायेगा।

9. निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि उक्त अधिकारी तथा उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने में सही थे कि तांबे तथा पीतल की चादरें जिनमें अपीलार्थी व्यवसाय करता है वह प्रविष्टि संख्या 116 ए तथा 116 डी के तहत व्यवसाय के 8% की दर पर कर योग्य हैं।

10. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष उजागर नहीं किया गया है जिससे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में हस्तक्षेप किया जाना उचित आये। अतः अपीलार्थी की अपील असफल रही है।

11. अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। खर्चा मुकदमा के संदर्भ में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्तुति राठी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।